दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित: 11 सितंबर, 2023
उद्घोषित: 01 मार्च, 2024

वैवा.अ. (परि.न्या.) 84/2017

राज कुमार मोहरवाल ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री सुनील सत्यार्थी, अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी

बनाम

राज कुमारी मोहरवाल ...प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. नीना बंसल कृष्णा</u>

1. अपीलार्थी द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत वर्तमान अपील, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 15.03.2017 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे "अधिनियम, 1955" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 13(1)(ia) के तहत एच.एम.ए संख्या

61511/2016/04 वाली विवाह विच्छेद याचिका, जिसे अपीलार्थी/पति द्वारा दायर किया गया था, खारिज कर दी गई है।

2. संक्षेप में कहा गया है कि दिनांक 15.03.1983 पर हिंदू रीति रिवाजों और संस्कारों के अनुसार, जब अपीलार्थी 24 वर्ष का था और प्रत्यर्थी 20 वर्ष का था। पक्षकारों ने शादी कर ली, वे कुटोपुर, रेवाड़ी (हरियाणा) में पति और पत्नी के रूप में रहते थे और उनकी शादी से तीन बेटे क्रमशः 07.06.1984, 16.07.1985 और 17.03.1987 पर पैदा हुए थे।

3. अपीलार्थी का मामला यह है कि वह अपनी पत्नी के साथ प्यार और स्नेह से पेश आता था और उसे जीवन की सभी सुख-सुविधाएँ प्रदान करता था, लेकिन शादी के 2 से 3 महीने के भीतर ही अपीलार्थी को पता चला कि उसकी आदतें अलग-अलग हैं, वह स्वभाव से गुस्सैल है और अपने माता-पिता के कहने पर छोटी-छोटी बातों पर भड़क जाती है, जिससे उनके विवाहित जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। उसने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों की मौजूदगी में उसके और उसके माता-पिता के साथ अपमान, गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया, जबकि वह हमेशा उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता था। उसने तीन गर्भावस्थाओं के दौरान उसकी देखभाल की और प्रत्यर्थी को एक समर्पित पत्नी की तरह रहने के लिए मनाने के सभी प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के कहने पर उससे जबरन पैसे ऐंठती थी और जब उसने उसकी मांगें पूरी नहीं कीं, तो उसने उसे परेशान करने और अपनी प्रेरित मांगों को मानने के लिए मजबूर करने के लिए, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराईं।

4. अपीलार्थी ने दावा किया था कि उनकी एक साधारण शादी थी, जिसके बाद वे 1986 तक रेवाड़ी (हरियाणा) के कुटोपुर में उनके पैतृक गाँव के घर में रहने लगे। प्रत्यर्थी को गांव में रहने में कोई रुचि नहीं थी और उसके आग्रह पर

अपीलार्थी अपने पूरे सामान के साथ दिल्ली कैंट के नांगल राय में उसके माता-पिता के घर चला गया ।

5. यह माना जाता है कि प्रत्यर्थी के पिता प्रत्यर्थी के साथ अपीलार्थी की शादी से पहले से ही अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। वह प्रत्यर्थी के दो छोटे भाईयों के साथ दिल्ली कैंट सागरपुर में रह रहे थे, जबकि प्रत्यर्थी की मां अपने बड़े भाई के साथ कालू सराय बेगमपुर, के पास, नई दिल्ली में रह रही थी। अपीलार्थी ने दावा किया था कि प्रत्यर्थी की दबाव की रणनीति के कारण, उन्हें 1988 तक प्रत्यर्थी के पैतृक घर नांगल राय, दिल्ली कैंट में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

6. अपीलार्थी के अनुसार, उसने पूरे घरेलू खर्चों को वहन करना जारी रखा, जिसके बावजूद प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ हाथापाई की और उसका जीवन नर्क बना दिया।

7. अपीलार्थी ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी को उसके रिश्तेदारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने पैतृक गाँव में अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अपीलार्थी के आग्रह से परेशान होकर, प्रत्यर्थी ने नांगल राय में घर छोड़ दिया और बिना कोई जानकारी दिए और अपीलार्थी की जानकारी के बिना अपनी माँ के साथ बेगम पुर, दिल्ली में रहने चली गयी। उसने उसके गाँव के पते पर उसके खिलाफ झूठी शिकायत भी की।

8. अपीलार्थी ने दावा किया है कि अपने भाई की शादी में शामिल होने के बाद अपने पैतृक गांव से लौटने पर, वह वर्ष 1988 में दिल्ली में किराए के मकान में चिराग दिल्ली स्थानांतरित हो गया, जहाँ वह 1990 तक लगभग डेढ़ साल तक रहा। उसके बहुत समझाने पर, प्रत्यर्थी उसके पास वापस आ गयी, यद्दपि उसके द्वारा दायर की गई शिकायत पर उसके खिलाफ जांच की गई थी। हालाँकि, शिकायत को अंततः बंद कर दिया गया।

9. अपीलार्थी ने आगे खुलासा किया था कि वर्ष 1979 में डी. डी. ए. का एक एल. आई. जी. फ्लैट उसके पिता द्वारा बुक किया गया था जो उसे आवंटित किया गया था और कब्जा वर्ष 1990 में दिया गया था। अपीलार्थी प्रत्यर्थी के साथ उक्त फ्लैट में स्थानांतरित हो गया, लेकिन उसके परिवार के उकसावे पर, उसे फ्लैट बेचने और इंदिरा एन्क्लेव, नेब सराय, दिल्ली में 100 वर्ग गज और 50 वर्ग गज के दो भूखंड खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।

10. अपीलार्थी ने आगे दावा किया है कि जब वह चिराग दिल्ली में रह रहा था, तो प्रत्यर्थी की माँ अपना घर बनवा रही थी और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए 15,000 रुपये का योगदान देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सास आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी। हालाँकि, यह सब करने के बावजूद, प्रत्यर्थी और उसकी माँ ने बिना किसी पूर्व सूचना के, किराए के घर से अपना सामान लिया और माँ के घर में शिफ्ट हो गईं। उसके बाद भी, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी मार्च 1991 तक लगभग दो महीने तक माँ के घर में रहे।

11. उन्होंने आगे कहा कि समय-समय पर उन्हें प्रत्यर्थी के भाई और उसके परिवार को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। दिनांक 02.04.1996 पर, वह अपनी शादी के अवसर पर प्रत्यर्थी के भाई कन्हैया लाल को रू. 20,000/- का भुगतान करने के लिए मजबूर था। उसने अपने बड़े भाई, सोम दत्त उपनाम गोपाल के खाते में रू..30,000/- भी स्थानांतरित कर दिया, ताकि वह अपनी भूमि पर अतिरिक्त निर्माण के खर्चों को पूरा करने में मदद कर सके। उसे प्रत्यर्थी के नाम पर देहरादून में जमीन का एक भूखंड खरीदने में मदद करने के लिए कन्हैया लाल को रू. 12,000/- देने के लिए मजबूर किया गया था। वर्ष 2000 में, उन्हें अपनी बेटी की सगाई के समय प्रत्यर्थी के मृत भाई सोम दत्त की पत्नी सोना देवी को रू. 50,000/- की राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन जब अपीलार्थी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इसने

प्रत्यर्थी को क्रोधित कर दिया। इसी तरह, वर्ष 2001 में, जब अपीलार्थी गुवाहाटी से लौटा, तो उसे दूसरी बेटी की शादी के समय रू. 50,000/- का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। भले ही उसने फिर से पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वे 29.07.2001 पर दिल्ली आए तो उसे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया और उसे 1,00,000 रुपये की राशि प्रत्यर्थी को चेक द्वारा देने के लिए मजबूर किया गया।

12. अपीलार्थी ने आगे प्रस्तुत किया कि उसे अगस्त, 1988 में गुवाहाटी स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ वे मार्च 2001 तक रहे। इस बीच, अपीलार्थी मार्च, 2000 में कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया, लेकिन यह जानकर हैरान रह गया कि प्रत्यर्थी का महेश कुमार से संपर्क और संबंध था, जिसने पहले अपीलार्थी पर हमला किया था और जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सामना किए जाने पर, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को धमकी दी कि उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

13. अपीलार्थी ने आगे दावा किया था कि प्रत्यर्थी ने उस पर 50 वर्ग गज के मकान/भूखंड को प्रत्यर्थी के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए दबाव डाला था, जिस पर कुछ निर्माण भी था और जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी और उसके, उसके माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ, नानकपुरा, दिल्ली में निराधार और मनगढ़ंत आरोपों वाली झूठी शिकायत भी दर्ज कराई, हालांकि, बाद में इसे रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया।

14. दिनांक 18.10.2001 को प्रत्यर्थी के भाई पदम सिंह ने अपने साथियों के साथ अपीलार्थी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वह प्रत्यर्थी की अनावश्यक मांगों और हुक्मों को मानने को तैयार नहीं था। यह दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी और उसके

परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर की गई ऐसी क्रूरताओं के कारण वह पूरी तरह से उदास हो गया और उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया।

15. यह भी दावा किया गया है कि अपीलार्थी ने अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखा और घर के खर्चों के लिए प्रत्यर्थी को अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा दिया और विभिन्न घरेलू वस्तुओं का भी भुगतान किया। उसने दिसंबर, 2003 से नियमित रूप से प्रत्यर्थी को विभिन्न राशियों का भुगतान किया और ऐसे नियमित भुगतानों के अलावा, उसने उसके नाम पर सावधि जमा के रूप में 50,000/- रुपये जमा किए। वह इससे पहले भी वर्ष 2001 में उसके खाते में नकद राशि जमा कर रहा था। उसने प्रत्यर्थी और उनके बेटों के नाम पर 1,00,000/- रुपये की एलआईसी पॉलिसियां भी खरीदीं, जिसके लिए वह नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान कर रहा है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को पूरा वेतन दिया, लेकिन जेब खर्च के लिए उससे 200/- रुपये देने का अनुरोध किया, लेकिन उसने हंगामा खड़ा कर दिया और अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया और पुलिस चौकी मैदानगढ़ी, पुलिस स्टेशन; महरौली में झूठी शिकायत दर्ज कराई। अपीलार्थी को पूरी रात पुलिस चौकी में हिरासत में रखा गया और अगली सुबह दो-तीन खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराने के बाद छोड़ दिया गया। दिनांक 24.03.2004 को जब वह पुलिस चौकी से लौटा तो प्रत्यर्थी उसे छोड़कर चला गया।

16. अपीलार्थी के अनुसार, मई 2004 में, दो से तीन मौकों पर, प्रत्यर्थी द्वारा उसे पास के जंगल में उसके साथ जाने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अपीलार्थी ने गड़बड़ी के डर से उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिससे प्रत्यर्थी का विरोध हुआ। दिनाँक 29.05.2004 पर, उसके द्वारा भाईयों, पदम सिंह और कन्हैया लाल के साथ उसकी हत्या और अपहरण

का एक और प्रयास किया गया, जिससे उसे फिर से भारी मानसिक क्रूरता, तनाव और पीड़ा महसूस हुई।

17. उसने जोर देकर कहा कि पिछले 20 वर्षों से उनके साथ अत्यधिक शारीरिक और मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया गया था। उसने नई दिल्ली के सी. ए. डब्ल्यू. प्रकोष्ठ में भी झूठी शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए। उसने अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया और प्रत्यर्थी द्वारा उन्हें अपने घर से बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया, जिसे उसने अपने पूरे मन और पैसे से बनाया था। प्रत्यर्थी ने केवल उसे बदनाम करने के इरादे से अपने विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों से शिकायत की।

18. अपीलार्थी ने इस प्रकार क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की।

19. प्रत्यर्थी ने याचिका का विरोध किया, जिसने अपीलार्थी द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। प्रत्यर्थी ने अपने लिखित बयान में दावा किया था कि अपीलार्थी का पूरा मामला झूठे आरोपों पर आधारित था। उसने इस बात से इनकार किया कि वह कभी अपीलार्थी के साथ क्रूरता से पेश आई और दावा किया कि वह वही थी, जिसे अपीलार्थी ने 03.05.2004 को छोड़ दिया था। उसने दावा किया कि तलाक की याचिका खारिज किए जाने योग्य थी।

20. अभिवचनों के मुद्दों को 19.12.2007 पर तैयार किया गया था, जैसा कि इसके अंतर्गतः-

> *"(i) क्या प्रत्यर्थी ने विवाह समारोह के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।*
>
> *(ii) राहत"*

21. अपीलार्थी अभि.सा.-1 के रूप में उपस्थित हुआ। उसने अभि.सा.-2, सुश्री मीना कुमारी, दिल्ली महिला आयोग, विकास भवन, आईटीओ, दिल्ली, सीएडब्ल्यू सेल की रिकॉर्ड कीपर से भी दिनांक 27.07.2001, 02.04.2004 की शिकायतों और दिनांक 08.08.2001 के पत्र, जिसे कथित तौर पर दिल्ली विधायक ने लिखा था, को साबित करने के लिए पूछताछ की, जिसमें शिकायतों को जांच के लिए डीसीडब्ल्यू को भेजा गया था। अभि.सा.3 श्री सुकेश कुमार, एच.जी.ए. भारतीय जीवन बीमा निगम से, ने प्रत्यर्थी के नाम पर बच्चों के लाभ के लिए ली गई एलआईसी पॉलिसियों के रिकॉर्ड पेश किए। अभि.सा.-4, श्री अजायब सिंह, इंजीनियर असिस्टेंट टू एसएसडब्ल्यू (सिविल I) सीसीडब्ल्यू ऑल इंडिया रेडियो ने अपीलार्थी द्वारा विभाग के पास जमा किया गया नामांकन फॉर्म पेश किया। पीएनबी इग्नू शाखा के उप प्रबंधक राज कुमार बरवाल ने अपीलार्थी का खाता विवरण प्रस्तुत किया।

22. प्रत्यर्थी प्र.सा.-1 के रूप में उपस्थित हुई तथा अपने पुत्र श्री कुलभूषण कुमार का प्र.सा.-2 के रूप में परीक्षण किया।

23. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, ने संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी यह सिद्ध करने के बोझ का निर्वहन करने में असमर्थ था कि उसे इस तरह की क्रूरता का सामना करना पड़ा था जिससे उसके मन में एक उचित आशंका पैदा हुई कि प्रत्यर्थी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक या नुकसानदायक होगा। यह देखा गया कि उनकी शादी के पहले सात वर्षों में, उन्हें तीन बेटे हुए और यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा क्रूरता का शिकार कैसे किया जा रहा था। यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि प्रत्यर्थी एक पत्नी या एक माँ के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही थी। अपीलार्थी द्वारा मात्र आरोप लगाए गए थे, जिनकी किसी भी ठोस साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी। अपीलार्थी के इस कथन का भी

कोई साक्ष्य नहीं पाया गया कि वह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती थी और उसे 'चश्मुद्दीन', 'अंधा' (अंधा) और 'गिट्ठू' कहती थी। यह देखा गया कि प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थी द्वारा इस तरह के आरोप पहली बार लगाए गए थे ।

24. यह भी देखा गया कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि पैसा सास या जीजा को दिया गया था।

25. प्रत्यर्थी द्वारा डी.सी.पी.महिला प्रकोष्ठ, दिल्ली में दिनांक 15.02.1998 को दर्ज कराई गई शिकायत प्र.अभि.सा.-2/डी, जिसमें प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया था कि अपीलार्थी ने मिट्टी का तेल डालकर उसे और उसके तीन बच्चों को मारने की कोशिश की थी, को साबित नहीं किया गया था। इसी तरह, दिनांक 27.10.2001 में दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली की गई दूसरी शिकायत और दिनांक 02.04.2004 में की गई तीसरी शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया गया और बंद नहीं किया गया।

26. यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दिनांक 25.10.2001 पर अपीलार्थी द्वारा आत्महत्या के प्रयास की कहानी के लिए प्रत्यर्थी के किसी भी कार्य या चूक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा कि प्रत्यर्थी ने किसी भी प्रकार की क्रूरता की थी और विवाह-विच्छेद की याचिका खारिज कर दी गई थी।

27. पीड़ित, अपीलार्थी/पति ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

28. प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

29. पक्षकारों की गवाही से जो पहला पहलू सामने आता है, वह यह है कि अपीलार्थी, जो सरकारी सेवा में सिविल इंजीनियर था, पूरे समय प्रत्यर्थी और बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा कि वे एक साथ थे।

30. विशेष रूप से, प्रत्यर्थी ने साक्ष्य का एक शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें उसने केवल यह दावा किया था कि अपीलार्थी ने परिवार को बनाए रखने के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया था और पति और एक अनुशासित पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में बुरी तरह से लापरवाही की थी और अपीलार्थी की लापरवाही के कारण तीनों बेटों का भविष्य खराब हो गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने उनकी आजीविका के लिए धन प्रदान किया था, हालाँकि उसने दावा किया कि यह उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए केवल एक न्यूनतम राशि थी। उसने आगे स्वीकार किया है कि अपीलार्थी उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसे देता था, हालांकि फिर से, उसने यह कहकर अर्हता प्राप्त करने की कोशिश की कि वह पैसे वापस ले लेता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने उसके और उसके बच्चों के नाम पर एल. आई. सी. नीतियाँ ली थीं, जिसके लिए वह किश्तों का भुगतान कर रहा था और यह भी स्वीकार किया कि उसे दो एल. आई. सी. नीतियों के लिए रू. 40,000 की राशि प्राप्त हुई थी। उसके सभी स्वीकार्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी एक देखभाल करने वाला पति था और उसने प्रत्यर्थी और बच्चों की सभी आवश्यकताओं को अपने साधनों के अनुसार प्रदान किया था।

31. यह भी विवाद में नहीं है कि विवाह के पहले तीन वर्षों के लिए, 1983 से 1986 तक, पक्षकार रेवाड़ी में अपीलार्थी के माता-पिता के घर में रहते थे। अपीलार्थी ने समझाया है कि चूंकि उसकी नौकरी दिल्ली में थी, इसलिए वह नियमित रूप से अपने कार्यस्थल पर आ रहा था। अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी दिल्ली में रहना चाहती थी और उसे गाँव में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके लगातार आग्रह के कारण, वे दिल्ली कैंट के नांगल राय में उसके माता-पिता के घर चले गए।, जहाँ पिता अपने दो बेटों यानी प्रत्यर्थी के भाईयों के साथ रह रहा था। हालाँकि, माँ नई दिल्ली के कालू सराय, बेगमपुर

में प्रत्यर्थी के तीसरे भाई के साथ अलग रह रही थी। इस बात में कोई चुनौती नहीं है कि पक्षकार 1988 तक नांगल राय में रहती थीं।

32. अपीलार्थी ने दावा किया था कि वर्ष 1988 में वह पैतृक गाँव में अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने गया था, जिसमें प्रत्यर्थी ने साथ जाने से इन्कार कर दिया था। हालाँकि, अपनी वापसी पर, वह यह जानकर हैरान रह गया कि उसे सूचित किए बिना, प्रत्यर्थी दिल्ली के बेगमपुर में अपनी माँ के घर चली गई थी।

33. उसने उसके खिलाफ पैतृक गांव के पते पर झूठी शिकायत भी दर्ज कराई। उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसका अपीलार्थी के साथ झगड़ा हुआ था और उसने उसे फ्राई पैन से पीटा था और उसके दांतों पर चोट लगी थी। हालांकि, वह मानती है कि उसने इस घटना के संबंध में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालाँकि प्रत्यर्थी ने दावा किया कि अपीलार्थी द्वारा उसे पीटा गया था, लेकिन उसकी प्रतिपरीक्षा में उसके दावों मात्र के अलावा, अपीलार्थी द्वारा दुर्व्यवहार का कोई अन्य सबूत रिकॉर्ड में नहीं है।

34. प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसने वर्ष 1988 में डी. सी. पी. महिला प्रकोष्ठ, दिल्ली में प्र.अभि.सा.-2/घ की शिकायत की थी। महत्वपूर्ण रूप से, वह अपनी गवाही में उस कथित क्रूरता के बारे में कुछ नहीं बताती है जिसने उसे यह शिकायत करने के लिए मजबूर किया, लेकिन शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि उसने अपीलार्थी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे और तीन बेटों को मारने का प्रयास करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उक्त शिकायत पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। हालाँकि अपीलार्थी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं,

लेकिन उन्हें न केवल अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार किया गया है, बल्कि प्रत्यर्थी द्वारा भी साबित नहीं किया गया है।

35. हालाँकि पक्षकारों ने अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ रहना जारी रखा, लेकिन प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि 27.07.2001 दिनांकित एक और शिकायत की, जिसे प्र.अ.सा.-2/क के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उसने अपीलार्थी के असम में तैनात होने के दौरान किसी महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वेच्छा से कहा कि इन तथ्यों का खुलासा स्वयं अपीलार्थी ने उसे किया था, जिसने कहा था कि पहले महिला उसके मालिक श्री डी. के. मिश्रा के साथ जुड़ी थी, लेकिन उसके बाद, उसने उसे अपीलार्थी को सौंप दिया था।

36. इस आरोप की पृष्ठभूमि यह है कि निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी केंद्र सरकार का एक कर्मचारी था जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एक सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और 1988 से 2001 तक गुवाहाटी में रहा था। प्रत्यर्थी ने अपने प्रतिपरीक्षा में दावा किया कि उसने उक्त शिकायत इसलिए की थी क्योंकि अपीलार्थी ने उसे गंभीरता से पीटा था। स्वयं प्रत्यर्थी की स्वीकारोक्ति से, यह स्पष्ट है कि उसके पास इस तरह के आरोप लगाने का कोई आधार नहीं था, लेकिन वह बिना किसी आधार के अपीलार्थी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने में लगातार लगी रही है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में भी वह लगातार ये आरोप लगा रही थी।

37. गली और मोहल्ला में घर से बाहर छड़ी और डंडे से पीटे जाने के अलावा, उसे मारने की धमकियों के साथ, उसने यह भी आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने अपने मामाजी लक्ष्मी नारायण सागर, और मामीजी धर्मवती सागर,के समर्थन से उसे मारने की साजिश रची। उसने आगे कहा कि कई बार, उसने रसोई में गैस सिलेंडर खुला छोड़ दिया, जबकि वह खुद उसे जलाने के इरादे

से बाहर आया। इतना ही नहीं, वह घर में नहीं सोया, बल्कि उसे सोने के लिए मजबूर किया, जिससे उसके मन में आशंका पैदा हो गई कि वह उसे उसकी नींद में मारना चाहता है। उसने अपीलार्थी के मामा और मामी के खिलाफ यह दावा करते हुए भी आरोप लगाया कि वे दावा करते थे कि उनकी बेटी और दामाद वकील हैं और उनके ससुराल वाले मजिस्ट्रेट हैं और वह जो कुछ भी करेगी, उसे सड़क के कांटे पर फेंक दिया जाएगा। शिकायत में लगाए गए इन सभी आरोपों का उल्लेख उसने अपने लिखित बयान या अपनी गवाही में भी नहीं किया है। वह अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए इन गंभीर आरोपों में से किसी की भी सच्चाई को साबित करने में बुरी तरह विफल रही है।

38. मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ क्योंकि उसने दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली को दिनांक 02.04.2004, प्र.अभि.सा.-2/बी, की तीसरी शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जब अपीलार्थी गुवाहाटी में था, तो एक ठेकेदार, श्री. दामोदर अग्रवाल और असम में रहने वाले कुछ लोगों ने मिलकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसने विभाग को उसे वापस दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए लिखा। हालाँकि, उसका पति उसके साथ नियमित रूप से लड़ने लगा और उसे बता रहा था कि जिस कॉलोनी में वे रह रहे थे, वह अच्छी नहीं थी और वे घर बेच देंगे और किसी अन्य क्षेत्र में चले जाएंगे। 24 मार्च, 2004 को उसने आधी रात को संपत्ति के दस्तावेजों की मांग की और हथौड़े से अलमारी का ताला तोड़ना शुरू कर दिया और जब उसने अपीलार्थी को रोकने की कोशिश की, तो उसने उसके सिर पर हथौड़े से मारने की कोशिश की, लेकिन उनके बड़े बेटे ने उसे रोक दिया। उसने उसका गला घोंटने की भी कोशिश की लेकिन वह भागने और घर से बाहर निकलने में समर्थ रही। इसके बाद उसने 100 नंबर पर पुलिस को बुलाया और पुलिस पहुंची और उन्हें मैदानगढ़ी पुलिस चौकी ले जाया गया। जबकि उसे और उसके बेटे को वापस भेज दिया गया, अपीलार्थी को पुलिस चौकी में हिरासत

में ले लिया गया। उसने महसूस किया कि उसे कोई न्याय नहीं मिला है और इसलिए उसने शिकायत की।

39. महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भी उसने न केवल अपीलार्थी द्वारा शारीरिक तौर पर पिटाई का आरोप लगाया है, बल्कि संपत्ति के दस्तावेज़ों के लिए उसके लालच का भी आरोप लगाया है। लेकिन फिर से, अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में, उनके द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला गया है। जबकि अपीलार्थी ने अपनी गवाही में इस शिकायत के बारे में गवाही दी थी, लेकिन विशेष रूप से, प्रत्यर्थी द्वारा इस शिकायत पर कोई ठोस प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। अपनी गवाही में भी, उन्होंने उक्त शिकायत में लगाए गए किसी भी आरोप की व्याख्या नहीं की है।

40. अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी न केवल अपीलार्थी द्वारा शारीरिक क्रूरता के अधीन होने की, बल्कि अपीलार्थी के किसी महिला के साथ अवैध संबंध होने की भी गैर-जिम्मेदाराना शिकायतें कर रहा है।

41. के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता एक्स (2014) एसएलटी 126 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करना भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आई. ए.) के उद्देश्य के लिए मानसिक क्रूरता है।

42. इसी तर्ज पर, सर्वोच्च न्यायालय ने रवि कुमार बनाम जुलमीदेवी (2010) 4 एस. सी. सी. 476 के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि पति और परिवार के सदस्यों के खिलाफ" लापरवाह, गलत और मानहानिकारक" आरोपों का समाज की नजर में उनकी प्रतिष्ठा को कम करने का प्रभाव पड़ेगा और यह यह क्रूरता के बराबर है।" रीटा बनाम जय सोलंकी (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9078 और निशी बनाम जगदीश राम 233 (2016) डी. एल.

टी. 50 के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा इसी तरह की टिप्पणियां की गईं।

43. इस प्रकार, इस तरह की झूठी शिकायतों को मानसिक क्रूरता के कृत्यों के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

44. उन्होंने परिस्थितियों से निपटने में समर्थ होने के लिए हर संभव प्रयास किया; विवाह को सफल बनाने के लिए, लेकिन प्रत्यर्थी का यह लंबा क्रूर आचरण उनके लिए असहनीय हो गया, जब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने दिनांक 25.10.2001 पर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ वह भर्ती है।

45. स्वतंत्र रूप से, व्यक्तिगत घटनाएँ हानिरहित प्रतीत हो सकती हैं और इसे एक सामान्य घटना के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन जब समग्र रूप से विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि इस तरह के आचरण ने अपीलार्थी पर इतना दबाव डाला कि अंततः, उसने इतना संकीर्ण और इस स्थिति से बचने में असमर्थ महसूस किया कि उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया। ऐसे दमनकारी और विषाक्त वातावरण में खुद को बनाए रखने में उनकी असमर्थता की इससे अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी जो अपीलार्थी को झेलनी पड़ रही थी। प्रत्यर्थी का आचरण ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति से उचित रूप से इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जैसा कि है वीर भगत बनाम धीर भगत (1994) 1 एस. सी. सी. 337 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया।

46. यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के व्यापक, स्पष्ट और अव्यक्त आचरण का अपीलार्थी के जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है और अपीलार्थी के मन में आघात और मानसिक पीड़ा पैदा हुई है, जिससे वह तलाक का हकदार बन

गया है, जैसा कि शोभा रानी बनाम मधुर रेड्डी (1988) 1 एस. सी. सी. 105 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

47. अपीलार्थी ने यह भी कहा था कि वह समय-समय पर प्रत्यर्थी द्वारा अपने भाईयों और माँ को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। उसने गवाही में कहा कि दिनांक 02.04.1996 पर, उसे अपनी शादी के अवसर पर प्रत्यर्थी के भाई कन्हैया लाल को रू..20,000/- का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अपने बड़े भाई, सोम दत्त उर्फ़ गोपाल के खाते में रू. 30,000/- भी स्थानांतरित कर दिया, ताकि वह अपनी भूमि पर अतिरिक्त निर्माण के खर्चों को पूरा करने में मदद कर सके। उसे प्रत्यर्थी के नाम पर देहरादून में जमीन का एक भूखंड खरीदने में मदद करने के लिए कन्हैया लाल को रू. 12,000/- देने के लिए मजबूर किया गया था। वर्ष 2000 में, उन्हें अपनी बेटी की सगाई के समय प्रत्यर्थी के मृत भाई सोम दत्त की पत्नी सोना देवी को रू. 50000/- का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था। अपीलार्थी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे प्रत्यर्थी क्रोधित हो गई। इसी तरह, वर्ष 2001 में, जब अपीलार्थी गुवाहाटी से लौटा, तो उसे दूसरी बेटी की शादी के समय रू. 50,000/- का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया, हालांकि उसने फिर से इनकार कर दिया। जब अपीलार्थी दिनांक 29.07.2001 पर दिल्ली आया, तो उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और उसे चेक द्वारा से रु. 1,00,000/- की राशि देने के लिए मजबूर किया गया।

48. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता है, वह यह है कि यह विवादित नहीं है कि वर्ष 1979 में, एक एल. आई. जी. फ्लैट नंबर 263, पॉकेट-3, माधीपुर, नई दिल्ली था, जिसे अपीलार्थी के पिता ने उनके नाम पर बुक किया था, जिसे अंततः वर्ष 1990 में आवंटित किया गया और कब्जा सौंप दिया गया। अपीलार्थी प्रत्यर्थी के साथ उक्त फ्लैट में

स्थानांतरित हो गया, लेकिन क्योंकि प्रत्यर्थी अपनी माँ और परिवार के सदस्यों से प्रभावित थी, फ्लैट में नहीं रही और अपीलार्थी को फ्लैट बेचने, अपनी माँ के घर के पास भूखंड खरीदने के लिए मजबूर किया। अपीलार्थी ने अंततः वर्ष 1992 में फ्लैट बेच दिया और क्रमशः 100 वर्ग गज और 50 वर्ग गज के दो आस-पास के भूखंड प्रत्यर्थी द्वारा खरीदे, जो प्रत्यर्थी के माता-पिता के घर से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर थे। अपीलार्थी द्वारा गवाही में बताए गए स्थान और परिस्थितियाँ, प्रत्यर्थी के माता-पिता के घर के निकट होने के लिए फ्लैट बेचने के लिए मजबूर होने की उसकी गवाही को पुष्ट करती हैं।

49. अपीलार्थी ने बयान दिया कि उसने भूखंड पर निर्माण किया था और वर्ष 1992 में वहाँ स्थानांतरित हो गया था। अपीलार्थी ने आगे कहा था कि वर्ष 1997 में, प्रत्यर्थी ने जोर देकर कहा था कि 100 वर्ग गज के भूखंड पर निर्मित घर को उसके नाम पर स्थानांतरित किया जाए। जब अपीलार्थी ने इनकार कर दिया, तो उसने उसे एक नोट छोड़ कर आत्महत्या करने के लिए दोषी ठहराते हुए आपराधिक मामले में झूठे फंसाने की धमकी दी गई|

50. प्रत्यर्थी ने महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि संपत्ति का एक हिस्सा सी-46, इंदिरा एन्क्लेव, नेब सराय, इग्नू, दिल्ली के पास, उसके नाम पर स्थानांतरित किया गया था। उसने यह स्पष्टीकरण देने की कोशिश की कि अपीलार्थी ने आयकर बचाने के लिए ऐसा ही किया था और इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि अपीलार्थी ने एक आपराधिक मामले में गलत निहितार्थ की धमकी पर उक्त संपत्ति को उसके नाम पर स्थानांतरित कर दिया था। प्रत्यर्थी की अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकृति अपीलार्थी की गवाही को और मजबूत करता है कि उसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा प्रत्यर्थी के नाम पर हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था।

51. इन परिस्थितियों में, कोई भी केवल अपीलार्थी के लचीलेपन और दृढ़ता की सराहना कर सकता है, जिसने इस वैवाहिक संबंध में रहने का प्रयास जारी रखा, हालांकि उसे प्रत्यर्थी के आचरण के कारण नियमित रूप से इस तरह की पीड़ा और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा।

52. वर्ष 2004 में दोनों पक्ष अलग हो गए थे; अपीलार्थी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थी ने मार्च, 2004 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था, लेकिन वह मई, 2004 में वापस आई और अपीलार्थी को उसके घर से निकाल दिया। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि अपीलार्थी ने खुद मई, 2004 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था। जबकि उसने ऐसा दावा किया है, वह प्रति परीक्षा में साक्ष्य शपथ पत्र अथवा सुझाव द्वारा, वर्ष 2004 में अलगाव की परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रही है| दूसरी ओर, अपीलार्थी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्यर्थी ने स्वयं ही मार्च, 2004 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था, जब उसने पुलिस स्टेशन, महरौली में उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसे पूरी रात पुलिस ने कारावास में रखा था और अगली सुबह दो-तीन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। अलगाव की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

53. उसकी गवाही में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने कभी अपीलार्थी के साथ फिर से जुड़ने का कोई प्रयास किया था या नहीं। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के लगभग बीस वर्षों के आचरण के बारे में बताया है, जिसके कारण उसके लिए वैवाहिक संबंध जारी रखना अत्यंत दमनकारी हो गया था। एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, वह यह है कि यह प्रत्यर्थी है, जो यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि अपीलार्थी ने घर क्यों छोड़ा। बल्कि, प्रत्यर्थी के साक्ष्य और स्वीकारोक्ति यह स्थापित करती है कि अपीलार्थी ने हमेशा प्रत्यर्थी और उसके परिवार के प्रति अपने वैवाहिक दायित्वों का

निर्वहन किया है। प्रत्यर्थी द्वारा बिना किसी सुलह के प्रयास के वर्ष 2004 से वैवाहिक संबंध से वंचित करना वैवाहिक संबंध को अस्वीकार करना है जो किसी व्यक्ति के साथ की जाने वाली अत्यधिक क्रूरता के बराबर है, जिसके लिए विवाह को समाप्त करना आवश्यक है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोघ बनाम जया घोष (2007) 4 एससीसी 511 के मामले में माना है।

54. *राकेश रमन बनाम कविता* के हालिया मामले में, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 497, यह देखा गया कि लंबे अलगाव और सहवास की अनुपस्थिति में के साथ-साथ विवाह के सार्थक बंधनों के पूर्ण टूटने को क्रूरता के रूप में देखा जाना चाहिए। आगे यह देखा गया कि इस तरह के विवाह को जारी रखने का मतलब केवल क्रूरता की मंजूरी देना होगा जो प्रत्यर्थी अपीलार्थी को दे रहा है।

55. उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विवाह के दिन से ही प्रत्यर्थी को शुरू में गाँव में बसने की समस्या थी। इसके बाद, दिल्ली स्थानांतरित होने पर, वह अपनी माँ और परिवार के सदस्यों के प्रभाव में, समय-समय पर अपीलार्थी को उसे और परिवार के सदस्यों को पैसे देने के लिए मजबूर करती थी। यह भी सामने आया है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के माता-पिता के घर के पास संपत्ति खरीदने के लिए अपना फ्लैट बेचने के लिए मजबूर किया गया था। प्रत्यर्थी के परिवार का उस पर इतना प्रभाव था कि वह अनिवार्य रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा अपने आचरण में निर्देशित थी। वह 20 वर्षों की अवधि में अपीलार्थी के खिलाफ तीन शिकायतें दर्ज करने की हद तक गई, लेकिन अपनी शिकायतों में थोड़ी भी सच्चाई साबित नहीं कर पाई। इस तरह की प्रतिकूलताओं के बावजूद, अपीलार्थी ने एक पति और एक पिता के रूप में अपने दायित्वों द्वारा निर्वहन किया था और प्रत्यर्थी और अपने बेटों की सभी वित्तीय और अन्य जरूरतों को पूरा किया था और उनके द्वारा पूरा समर्थन किया था। इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकालना होगा

कि अपीलार्थी ने वैवाहिक सद्भाव और शांति लाने के लिए सभी प्रयास किए, जो 20 वर्षों तक चले, लेकिन बुरी तरह विफल रहे।

56. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आई.ए.) के तहत क्रूरता के आधार पर प्रत्यर्थी के कार्यों को केवल क्रूरता के कार्य के रूप में कहा जा सकता है जो अपीलार्थी को तलाक की डिक्री का हकदार बनाता है।

57. हम एतद्द्वारा दिनांकित 15.03.2017 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर देते हैं। एतद्द्वारा अपील की अनुमति दी जाती है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक दिया जाता है।

58. डिक्री शीट तदनुसार तैयार की जानी चाहिए।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्या.

(सुरेश कुमार कैत)
न्या.

1 मार्च, 2024

आरएस/एनके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*